FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

मोहनलाल उर्फ ..... बनाम ..... [illegible] सरकार

किस्म मुकदमा ..... [illegible] 88-89 ..... मिसल नम्बर 76/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/6/18	वाद वादी/वादीगण/वादनी मोहनलाल उर्फ बृजमोहन की ओर से अभिभाषक [illegible] द्वारा उपस्थिति होकर पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 19/6/18 को पेश हो।	
19.6.18	पत्रावली लोक अदालत केम्प बनेठिया में पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता मजमें आम में उपस्थित। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी नें कथन किये कि विवादित आराजी वाके ग्राम धनवां, सनीजा बावडी एवं खैरूला तहसील दीगोद स्थित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बृज मोहन अंकित है, जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम मोहनलाल दर्ज है। अतः ग्राम धनवा, खैरूला एवं सनीजा बावडी तहसील दीगोद स्थित विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बृज मोहन के स्थान पर मोहनलाल दर्ज किया जावें। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। वादी द्वारा अपनें वाद पत्र के समर्थन में मात्र ग्राम पंचायत बडोद का प्रमाण पत्र एवं मतदाता पहचान पत्र तथा आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त दस्तावेजों से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि वादी का वास्तविक नाम मोहनलाल ही है। वादी अपनें वाद पत्र को साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	देवेन्द्र यादव

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प बनेठियां

उनवान

मोहनलाल उर्फ बृज मोहन पुत्र गोबरीलाल जाति अहीर निवासी बडोद तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 76/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रु मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादी खारिज किया जाता है।" तद्नुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 19.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0
महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0
मिलान	0	0

स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0
मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner